राजस्थान–सरकार

न्यायालय अति0 जिला मजिस्ट्रेट करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिह तोमर आर.ए.एस

मु0नं0 44/2018 आर.सी.एम.एस. 2018/00124 तारीख रजू 22.11.2018

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला करौली :– सायल/प्रार्थी

बनाम

हलीम उर्फ हल्लो पुत्र बब्बू जाति कसाई मुसलमान उम्र 36 साल निवासी वजीरपुर गेट बाहर, करौली थाना कोतवाली करौली :–गैरसायल/अप्रार्थी

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

निर्णय दिनांक 02.12.2019

पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा यह इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैरसायल हलीम उर्फ हल्लो पुत्र बब्बू जाति कसाई मुसलमान उम्र 36 साल निवासी वजीरपुर गेट बाहर, करौली थाना कोतवाली करौली के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल के विरूद्व थाना कोतवाली करौली मे निम्न केस दर्ज हुये है।

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर व दिनांक	धारा	नतीजा पु0 चार्ज0नं0	न्यायालय निर्णय व दिनांक
01	258/17 दि0 27.07.2017	13 आरपीजीओ एक्ट	160 दिनांक 31.07.2017	जुर्माना 100 रूपये दिनांक 31.08.2017
02	317/17 दि0 03.09.2017	13 आरपीजीओ एक्ट	207 दिनांक 15.09.2017	जुर्माना 200रूपये दिनांक 23.09.2017

उक्त पंजीकृत आपराधिक प्रकरण मे वाद जॉच चार्जशीट किता कर संबन्धित न्यायालय मे चालान पेश किया गया जिसमे सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त प्रकरणो मे दोषी मानते हुये जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। गैरसायल जुआ, सटटा का आदतन अपराधी है जिससे आम जनता में कुप्रभाव पडता है। इतने प्रकरण दर्ज होने के बाबजूद भी इसकी कार्यशैली पर कोई असर नही हो रहा है बल्कि हौंसला बुलन्द होता जा रहा है। कानून का भय कतई नही रखता है। निरन्तर अपराध करता जा रहा है। ऐसे अपराधी का खुले रूप से घुमना आम जनता के जान–माल की सुरक्षा हेतु असुरक्षित रहता है। ऐसे अपराधी का खुले रूप मे सामाजिक सुरक्षा एवं कानून के राज के लिये कतई हित मे नही है। इस तरह के अपराधी के खिलाफ गुण्डा एक्ट की कार्यवाही किया जाना आम जनता के हित मे है।

अन्त मे स्थगासा पेश कर गैरसायल अपराधी हलीम उर्फ हल्लो पुत्र बब्बू जाति कसाई मुसलमान उम्र 36 साल निवासी वजीरपुर गेट बाहर, करौली थाना कोतवाली करौली के खिलाफ कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।

स्थगासा को साबित करने के लिये एफआईआर की प्रति, चार्जशीट डायरी, सजा निर्णय की प्रतियां मय गवाह सूची पेश किये है।

स्थगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 04 के उल्लेखन अनुसार राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल वकालानतन उपस्थित आया। गैरसायल एवं उनके अभिभाषक ने जबाव एवं प्रार्थनापत्र पेश कर अपनी सहमति दी गई है कि मै गरीब व्यक्ति हूँ। मेरे बच्चों की देखभाल करने वाला और कोई नही है। मुझे जिला बदर के स्थान पर थाना बदर करने का निवेदन किया है।

सायल की ओर से इस्तगासा मे प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा न्यायालय निर्णय की प्रति ,नतीजा चार्जशीट की प्रतियां पेश की गई है जिसमे गैरसायल को आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। गैरसायल ने अपने बचाव पक्ष मे मौखिक एवं लिखित कथन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई साक्ष्य या गवाह आदि पेश नही किये है।

गैरसायलान को असालतन एवं वकालानतन सुना गया। सायल ने अपने इस्तगासा मे गैरसायल के खिलाफ **दो** मुकदमे दर्ज करते हुये सक्षम न्यायालय मे चार्जशीट पेश की गई थी जिसमे सक्षम न्यायालय ने अपने निर्णय मे गैरसायल को आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। सायल के इस्तगासा मे वर्णित तथ्यानुसार गैरसायल जुआ, सटटा का आदतन अपराधी है जिससे आम जनता को कुप्रभाव पड़ता है। गैरसायल सक्षम न्यायालय के दण्डित होने के बाद भी अपनी कार्यशैली पर कोई असर नही हो रहा है जिससे आम जनता मे ऐसे अपराधी का खुले रूप मे घुमना जान–माल की सुरक्षा हेतु असुरक्षित रहता है। जिसमे गैरसायल द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2019 मे गरीब व्यक्ति होना स्वीकार करते हुये दोष मुक्त किये जाने का भी निवेदन किया गया है किन्तु जब सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को दण्ड से दण्डित कर दिया गया है तो गैरसायल के विरूद्व यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार है कि गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंन्त्रण अधिनियम 1975 के नियमो के तहत अपराधिककृत कारित करने मे संलिप्त है। गैरसायल का कृत्य अनैतिक है जो समाज के लिये अभिशाप है। ऐसे मे उसके खिलाफ कार्यवाही किया जाना उचित समझते है।

अतः सायल/प्रार्थी का इस्तगासा स्वीकार किया जाकर गैरसायल हलीम उर्फ हल्लो पुत्र बब्बू जाति कसाई मुसलमान उम्र 36 साल निवासी वजीरपुर गेट बाहर, करौली थाना कोतवाली करौली को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाता है तथा गैरसायल को 15 दिवस की समयावधि के लिये थाना कोतवाली करौली के परिक्षेत्र से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है। कोतवाली करौली को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 16.12.2019 से 31.12.2019 तक की समयावधि के लिये थाना कैलादेवी पर रहने हेतु सूपूर्द करें। गैरसायल को सुविधा मार्ग से ले जाया जावे। गैरसायल वहां रहने की जानकारी के लिये थाने मे उपस्थिति देगा एवं 15 दिवस की समाप्ति से पूर्व कोतवाली करौली के किसी भी भाग मे प्रवेश नही करेगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधिक्षक करौली एवं थाना कैलादेवी एवं कोतवाली करौली को भेजे तथा एंक प्रति गैरसायल को दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शनसिह तोमर)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2020.01.01 14:29:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: